पावर ग्रिड कार्पोरेशन औफ इंडिया लिमिटेड
5वाँ तला अलंकार प्लेस बोरिंग रोड001 800 – पटना ,
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी। - सं प्र पू क्षे ,

स्पीड पोस्ट

सन्दर्भ पू क्षे I/आर टी आई/2014-15/1015- **दिनांक** 26/06/2014

सेवा में
श्री संजय यादव, पिता श्री लक्षमण यादव
ग्राम – बाघमारा, जिला कोडरमा
झारखंड 825318

विषय: जन सूचना अधिकार नियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन दिनांक 16/02/2014

महाशय,

कृपया उपरोक्त आवेदन का सन्दर्भ लें जिसके द्वारा आपने ट्रांसमीशन लाईन के निर्माण के दौरान हुए क्षति एवं मुवावजे आदि से संबंधित सूचना चाही है। आपके द्वारा मांगी गई विन्दुवार सूचना इस पत्र के अनुलग्नक के रुप मे संलग्न है।

सधन्यवाद।

भवदीय

(ए के वर्मा)
उप महाप्रबन्धक (वाणिज्य)
सह केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, पू क्षे I

संलग्नक: यथोपरि

प्रति:

1. **श्री सुधीर मित्तल, महा – प्रबन्धक (सी पी) सह के लो सू अ, केन्द्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कार्पोरेशन औफ इंडिया लिमिटेड, सौदामिनी, प्लाट नं 2, सेक्टर – 29, गुडगांव – 122001**
2. **उप महा प्रबन्धक, पटना टी एल सी श्री एम क्यू हुदा**
3. **उप प्रबंधक (सतर्कता), पूर्वी क्षेत्र 1पटना**

पावरग्रिड POWERGRID
केन्द्रीय कार्यालय CORPORATE CENTRE
07 JUL 2014
प्राप्त किया RECEIVED
गुड़गाँव GURGAON

आर०टी०आई० के अंतर्गत श्री संजय यादव पिता श्री लछमन यादव ग्राम:: बाघमारा, जिला : कोडरमा, झारखण्ड के पत्रांक शून्य दिनांक 26.02.2014, द्वारा माँगी गयी बिंदुवार सूचना

उपर्युक्त विषयक निर्माणीधीन 400 के0वी0 बोकारो-कोडरमा संबंधित है । निर्माण के दौरान प्रभवित रैयतों, जिनकी फसल/वृक्षों की क्षति होती है उनका मुआवजा का निर्धारण में जो प्रक्रिया व्यवहार में लायी जाती है वे निम्नवत है ।

1) यह विदित हो कि जमीन का अर्जन नहीं किया जाता हैं इसलिए जमीन का मूल्यांकन एवं मुआवजा लागू नहीं है |

2) जमीन पर होने वाले फसल/वृक्षों की क्षति के एवज में एवं उनका मुआवजा का निधारण Indian Telegraph Act. 1885 में संबंधित प्रावधानुसारकिया जाता है |

श्री संजय यादव पिता श्री लछमन यादव ग्राम:: बाघमारा, पो०- मकतपुर, थाना: जयनगर जिला : कोडरमा, के द्वारा मांगी गयी सूचना का बिंदुवार उतर : -

क्रम संख्या	श्री संजय यादव द्वारा मांगी गयी सूचना	पावरग्रिडकोडरमा कार्यालय द्वारा प्रांसगिक उतर
1	अभी तक बहुत सारे लोगों को धान एवं वृक्ष नष्ट का पैसा नहीं दिया गया है | जिस ज़मीन पर फ़सल एवं वृक्ष नष्ट हुआ है | पदाधिकारियों के द्वारा एवं संबंधित आधिकारियों के द्वारा सर्वे करने के बाद बोले जिन लोगों का फसल एवं वृक्ष नष्ट हुआ है | उन्हें पैसा दे रहे हैं बाकि लोगों को नहीं मिलेगा | जिसमें कि जो पदाधिकारियों एवं संबंधित अधिकारी के द्वारा जो सर्वे किया गया है वह गलत ढंग से किया गया है |	- ग्राम उप मुखिया द्वारा सत्यापित फार्म भर कर फसल क्षतिपुर्ति के लिए दावा किया गया था | उन सबो का भुगतान दिया जा चुका है| परंतु वैसे किसान जो अभी तक मुखिया से सत्यापित कर फार्म जमा नहीं किये हैं, उनका क्षतिपूर्ति का भुगतान दावा बाकी है | - जिनका फसल एवं वृक्ष नष्ट होता है उन्हीं को क्षतिपूर्ति का दावा का भुगतान होता है|बांकी ग्राम के सभी लोगों का जिनका फसल/वृक्ष की क्षति नहीं होती है उनका दावा नहीं बनता है | - फसल एवं वृक्ष भूस्वामी एवं पावरग्रिड के अधिकारी के द्वारा संयुक्त सर्वे करके फार्म काटा जाता है जिसे उप मुखिया /मुखिया/वार्ड सदस्य अथवा अंचलाधिकारी के द्वारा सत्यापित किया जाता है, तदुपरांत मुआवजा भुगतान किया जाता है |
2	जिसका फ़सल एवं वृक्ष नष्ट नहीं हुआ है उन्हें पैसा दिया गया है एवं जिसका फ़सल एवं वृक्ष नष्ट हुआ है उन्हें पैसा नहीं दिया गया है |	पावरग्रिड पारेषण लाइन निर्माण में किसी भी किसान की ज़मीन अधिग्रहण नहीं करता है | ज़मीन का स्वामित्व किसानों का ही है | फाउण्डेशन स्थल में भी ज़मीन का पैसा नहीं दिया जाता है | जिनके ज़मीन से तार गुज़रती

		है, उन्हें भी फ़सल क्षति/ वृक्ष क्षति का हीं भुगतान किया जाता है । तार के नीचे की ज़मीन एवं फाउण्डेशन के दौरान उपयोग की गयी ज़मीन में फसल एवं वृक्ष की क्षति की अवस्था में होने वाले नुकसान की क्षति पूर्ति दी जाती है ।यह बताना उचित होगा कि प्राप्त जानकारी के अनुसार मुआवजा की राशि वितरण पावरग्रिड द्वारा विना किसी भेदभाव एवं पावरग्रिड के प्रावधानुसार किया गया है, तो भी अगर किसी भी प्रभावित व्यक्ति का मुआवजा भुगतान छूट गया हो तो संबंधित रैयत द्वारा पावरग्रिड कार्यालय, कोडरमा से अपेक्षित एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु संपर्क किया जा सकता है।
3	जिन ज़मीन मालिकों का फ़सल एवं वृक्ष अधिक नष्ट हुआ है उनको कम पैसा दिया गया है ।	फसलक्षति पूर्ति की गणना संबंधित प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी एवं बाज़ार समिति द्वारा उपलब्ध मूल्य तालिका दर के आधार पर किया जाता है एवं वृक्ष क्षति पूर्ति की गणना वन विभाग के द्वारा उपलब्ध मूल्य तालिका दर के आधार पर किया जाता है ।क्षति पूर्ति की गणना उप मुखिया / मुखिया / वार्ड सदस्य अथवा अंचलाधिकारी के सत्यापन के उपरांत ही किया जाता है ।
4	जिन ज़मीन मालिकों का फ़सल एवं वृक्ष कम नष्ट हुआ है । उन्हें अधिक पैसा दिया गया है । मैं कोडरमा पावरग्रिड के पदाधिकारियों से मुलाक़ात किये एवं इस विषय में जानकारी मांगे तो बोलते हैं हमें कुछ पता नहीं है और न मैं कुछ बताउंगा यह पदाधिकारियों का नाम इस प्रकार है सुनिल कुमार एवं प्रवीण लाल जो हमें किन्हीं दूसरे लोगों के माध्यम से पता चला है । इन दोनों ने कुछ भी बताने से इंकार कर गये । ऐसे ज़मीन मालिक जिनको पावरग्रिड के द्वारा पैसा नहीं दिया गया है और इसका फ़सल एवं वृक्ष नष्ट हुआ है । हमसे संपर्क किया तो हमने कोडरमा ऑफीस लोगों के साथ जा कर मुलाकात किये तो वहाँ के पदाधिकारी बोलते है किस	सभी किसानों को फ़सल एवं वृक्ष की क्षति पूर्ति के रूप में संबंधित रैयत, पावरग्रिड के प्रतिनिधि एवं मुखिया / उप मुखिया द्वारा किया गया है । इसलिये निर्धारण में कोई त्रुटि नहीं है । प्रार्थी द्वारा दो अधिकारियों का नाम लिखा गया है और आरोप है कि वे कुछ बताने से इंकार कर गये हैं । ज्ञातव्य हो कि इन दो अधिकारियों से भी ऊपर स्तर के अधिकारी यहाँ मौज़ूद हैं, जिससे प्रार्थी ने कभी भी मौखिक अथवा लिखित शिकायत नहीं की है । इस संबंध में कार्यालय में किसी तरह का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है । क्षति पूर्ति का दावा का भुगतान लगभग हो चुका है और तुरंत किया जाता है क्योंकि वैसी हालत में किसान लाइन का काम रुकवा देते हैं । कुछ किसान जो अभी तक क्षतिग्रस्त फसल/वृक्षों का मुआवजा वितरण हेतु जारी फार्मों मुखिया से सत्यापित नहीं करा पाये हैं उनका दावा प्रत्येक हालत में मुखिया से सत्यापन के उपरांत ही हो सकता है ।

	लिए पहुंचे हैं हमने बोले कुछ ऐसे किसान है,जिन्हे पैसा नहीं मिला है और कुछ लोगों को अधिक फसल एवं वृक्ष नष्ट हुआ है उन्हे कम पैसा दियागया है। एवं कुछ लोग ऐसे है जिनका फसल एवं वृक्ष कम नष्ठ हुआ है उन्हे अधिक पैसा दिया गया है। इस सम्बंध मे जानकारी मांगे एवं बोले की इन लोगो का समस्या का समाधान किया जाय । उन्होने बोले जो हुआ है सही हुआ है। अब कुछ नही होगा । जो करना है कर सकते हैं । इसके बाद में सम्बंधित उपरी अधिकारी से सुचना के माध्यम से जानकारी लेना चआह रहा हूं की इस सम्बंध मे किस प्रकार का सर्वे किया गया है ।	
5	धान फसल एवं वृक्ष नष्ट पर किस प्रकार से पैसा मिलता है ।एवं कितना जमीन फसल नष्ट पर कितना पैसा मिलता है । एवं पावर ग्रीड तार से नुक्सान होने पर किन किन चीजों का पैसा मिलता है । 1. धान के फसल नष्ट होने पर कितना जमीन पर कितना पैसा मिलता है । 2. वृक्ष के नष्ट होने पर कितना पैसा मिलता है । एवं किस जाति के वृक्ष पर कितना पैसा मिलता है। कोडरमा जिला के जय्नगर प्रखंड के अंदर कितने लोगों को पैसा दिया गया है और कितने लोगो को अभी पैसा नही मिला है। नाम और पता सहित सुचना दिया जाय । जयनगर 3. प्रखंड के अंदर प्रत्येक गांव के सिमाना में कितना जमीन लिया गया है ।प्रत्येक गाँव में अपना	क्षति पूर्ति की दर संलग्न की जाती है । प्रार्थी के आवेदवन से पता लगता है कि वे फांउडेशन की ज़मीन को एवं तार के नीचे की ज़मीन को अलग - अलग रूप से आंक रहे हैं । इस कार्य में किसी भी किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण नहीं किया गया है, वह फांउडेशन का काम हो अथवा तार खींचने का काम हो, दोनों के लिये क्षति पूर्ति का निर्धारण वास्तविक क्षतिग्रस्त क्षेत्र के फसल / वृक्ष के किस्म को ध्यान में रखते हुए किया जाता है । जिन किसानों ने मुखिया से सत्यापित करके फार्म ज़मा किया है, उन्हें भुगतान दिया जा चुका है परंतु जो अपना फार्म अभी तक सत्यापित नहीं करा पाये हैं, उनके दावा का भुगतान नहीं हुआ है । सर्वे ग्रामीणों की उपस्थिति में किया गया है । क्षतिपूर्ति का क्षेत्र निर्धारण वास्तिविक माषी के अधार पर किया जाता है । प्रार्थी को यह समझना आवश्यक है कि पावरग्रिड ज़मीन नहीं लेती है । ज़मीन का स्वामित्व किसानों का ही है । सर्वे गलत ढंग से नहीं किया गया है । अतः संबंधित अधिकारियों पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती ।

	सिमाना में किन किन लोगों का कितना फसल एवं वृक्ष नष्ट हुआ है । और उन्हें कितना पैसा मिला है और कितने लोगों का अभी पैसा देने के लिये बाकी है । यह जानकारी हमें नाम और पता सहित दिया जाय । हमें पता चला है कि एवं पता है कि गलत ढंग से सर्वे किया मया है । यदि गलत सर्वे पाया गया तो उन सभी पदाधिकारियों पर कानूनी कार्यवाही किया जाय । एवं हम किसानों को सही अधिकार के तहत फसल एवं वृक्ष नष्ट का सही लाभ दिलाया जाय । हमलोगों का ज़मीन पर फसल एवं वृक्ष नष्ट हुआ है और पैसा नहीं दिया जा रहा है । जिन लोगों का अधिक फसल एवं वृक्ष नष्ट हुआ है उन्हें गलत ढंग से सर्वे कराकर पदाधिकारियों के मिलीभगत के कारण कम पैसा दिया गया है । एवं जिन लोगों का कम फसल एवं वृक्ष नष्ट हुआ है । उन लोगों को अधीक पैसा दिया गया है । इन सभी बिंदुओं का सुचना देते हुए जल्द से जल्द जाँच करवाया जाय । ताकी सबों को सही अधीकार मिल पाये ।	

संलग्नक :

(1) फ़सल एवं वृक्ष की मुल्य तालिका दर।

(2) श्री संजय यादव के आवेदन की छायाप्रति ।

कार्यालय, कृषि उत्पादन बाजार समिति, कोडरमा

पत्रांक 737 कोडरमा/ दिनांक 27-12-2012

प्रेषकः— पणन सचिव,
कृषि उत्पादन बाजार समिति,
कोडरमा।

सेवा में,
श्री कुलदीप कुमार,
कनीय अभियन्ता,
कोडरमा—गया ट्रान्समिषन लाईन,
पावर ग्रिड कारपोरेषन ऑफ इण्डिया लिमिटेड।

विषयः— **वर्तमान बाजार दर उपलब्ध कराने के संबंध में।**
प्रसंगः— **आपका पत्रांक शून्य / दिनांक 26.12.2012**

महाषय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में कहना है कि अधिसूचित कृषि उपजों का वर्तमान बाजार दर संकलित कर इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए आवष्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है ।

अनुलग्नकः— यथावर्णित ।

विष्वासभाजन,
27/12/12
पणन सचिव,
कृषि उत्पादन बाजार समिति,
कोडरमा।

AGRICULTURE PRODUCE MARKET COMMITTEE, KODERMA

Sl. no.	Name of crops	Yield/ hectare in quintal	Rate	
			Wholesale	Retail
1	Paddy		1000.00	1250.00
2	Wheat		1300.00	1500.00
3	Marua		750.00	900.00
4	Arhar		5500.00	5800.00
5	Lentil		4800.00	5000.00
6	Urad		5800.00	6200.00
7	Mung		6000.00	6400.00
8	Kurthi		2800.00	3000.00
9	Pea		3200.00	3500.00
10	Gram		5200.00	5500.00
11	Mustard		6700.00	7100.00
12	Potato		800.00	1000.00
13	Tomato		800.00	1000.00
14	Lady finger		Not available	
15	Cauliflower		800.00	1000.00
16	Cabbage		700.00	900.00
17	Brinjal		800.00	1000.00
18	Pumpkin		600.00	800.00
19	Beans		1600.00	2000.00
20	Parwal		Not available	
21	Onion		1600.00	2000.00
22	Cucumber		1200.00	1500.00
23	Watermelon		Not available	
24	Garlic		1600.00	1900.00
25	Radish		600.00	800.00
26	Carrot		1300.00	1500.00
27	Almond		Not available	
28	Sunflower		Not available	
29	Sugar cane		3200.00	3400.00
30	Turnip		1200.00	1400.00
31	Chilly		2200.00	2400.00
32	Coriander		7500.00	7800.00
33	Ginger		3500.00	4000.00

27/12/12
Price reporter,
Agriculture produce market committee
Koderma

Market secretary,
Agriculture produce market committee

AGRICULTURE PRODUCE MARKET COMMITTEE, KODERMA

S.I.	Name of crops	Yield/Hectare In quintal	Rate	
			Wholesale	Retail
1	Paddy	25 Quintal.	700-00	750-00
2	Maize	22 "	700-00	750-00
3	Wheat	27 "	1050-00	1150-00
4	Marua	12 "	650-00	700-00
5	Arhar	08 "	4500-00	4800-00
6	Lentil	13 "	4800-00	5200-00
7	Urad	14 "	3600-00	4000-00
8	Mung	13 "	4200-00	4500-00
9	Kurthi	08 "	1200-00	1400-00
10	Pea	15 "	2200-00	24000-00
11	Gram	16 "	2500-00	2800-00
12	Mustard	04 "	4200-00	5000-00
13	Potato	205 "	250-00	300-00
14	Tomato	150 "	800-00	900-00
15	Lady finger	80 "	Not available	
16	Cauliflower	160 "	600-00	700-00
17	Cabbage	155 "	700-00	800-00
18	Brinjal	400 "	600-00	700-00
19	Pumpkin	300 "	400-00	600-00
20	Beans	100 "	1800-00	2000-00
21	Parwal	NIL	1800-00	2000-00
22	Onion	300 "	900-00	1000-00
23	Cucumber	400 "	1000-00	1200-00
24	Watermelon	NIL	Not available	
25	Garlic	60 "	800-00	1200-00
26	Radish	160 "	400-00	500-00
27	Carrot	150 "	900-00	1000-00
28	Almond	—	4200-00	4600-00
29	Sunflower	08 "	Not available	
30	Sugar cane	400 "	Not available	
31	Turnip	—	900-00	1000-00
32	Chilli	10 "	6000-00	6500-00
33	Coriander	—	9000-00	12000-00
34	Ginger	50 "	3400-00	3600-00

3.12.08
मूल्य प्रतिवेदक
बाजार समिति, कोडरमा

5/12/08

अंचल अधिकारी
(कोडरमा)
5/12

Market Secretary
Agriculture Produce Market Committee
Koderma

पत्रांक – कृषि विविध –47/06 / [illegible]/कृ०, रांची, दिनांक [illegible] जून, 200[illegible]

प्रेषक,

[illegible] शरण मिश्र,

सरकार के अपर कृषि आयुक्त ।

सेवा में,

प्रधान निदेशक,

झारखण्ड, रांची ।

विषय:– 400 के०वी० लाइन निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त फलदार पौधों के मुआवजा दर निर्धारण के संबंध में ।

प्रसंग:– आपका पत्रांक–117 दिनांक 8-5-06

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कृषि निदेशालय (उद्यान), झारखण्ड, रांची द्वारा प्राप्त फलदार पौधों के संलग्न मुआवजा दर को स्वीकृति प्रदान की गई है ।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

अनुलग्नक–यथोपरि ।

विश्वासभाजन,

अपर कृषि आयुक्त ।

10-6-06

[illegible]

DIRECTORATE OF AGRICULTURE (HORTICULTURE) JHARKHAND, RANCHI.

RATE CHART FOR THE COMPENSATION OF THE FRUIT BEARING TREES/PLANTS JHARKHAND STATE

Sl.No.	Name of the fruit bearing Trees/Plants	0 to 5 years.	A bove 5 years to 10 years	A bove 10years to 20 years	[illegible]
1	2	3	4	5	
1	Mango (local)	450/-	1500/-	3000/	[illegible]
2	Mango (Commercial)	500/-	2000/-	4000/	[illegible]
3	Guava	150/-	400/-	1000/-	1200/
4	~~Jack fruit~~	200/-	500/-	1000/-	1500/-
5	~~Coconut~~ (Tall)	200/-	1000/-	2000/-	2000/
6	~~Coconut~~ (hybrid)	300/-	1500/-	3000/	1000
7	~~Cashewnut~~	100/-	250/-	500/-	500
8	~~Custard Apple~~	100/-	250/-	500/-	[illegible]
9	Lemon	200/-	500/-	1000/-	1000
10	orange	200/-	500/-	1000/-	1000/-
11	Jamun	200/-	600/-	1800/	5000/
12	Mahua	200/-	1500/-	3000/-	5000
13	Others (~~Bel~~, Ber, Sapatoo, Chironji, Aoula.)	200/-	1600/-	2000/	[illegible]

पत्रांक : [illegible] दिनांक [illegible]

[illegible]
सहायक अभियंता
कार्यालय [illegible]
[illegible] नगर [illegible] ।

विषय : पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0 के द्वारा 400 के.वी. ट्रांसमिशन लाईन में आने वाले वृक्षों का दर के सम्बन्ध में ।

प्रसंग : आपका पत्रांक 2822 दिनांक 17. 10. 2008.

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0 के द्वारा 400 के.भी. ट्रांसमिशन लाईन के कार्यों मे आने वाले वृक्षों की दर सूची पूर्व में दिया गया था । इसलिए दर सूची उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है । इस सम्बन्ध में मुख्य वन संरक्षक विकास बिहार का ज्ञापांक 788 दिनांक 02. 05. 1996 के पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि वर्ष 1997-98 से इस पर 10% प्रतिशत की वृद्धि प्रत्येक वर्ष की जाय ।

विश्वासभाजन

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
रांची पूर्वी (वन) प्रमण्डल ।

[illegible]

... [illegible] का रायल्टी निर्धारित किया जाता है।

[illegible]

... [illegible] 20 सेमी० व्यास ... अर्थात 62 सेमी० ... गोलाई से ऊपर वृक्षों हेतु गणना 10 सेमी० अर्थात 30 सेमी० गोलाई तक की जायेगी होगी। प्रजातिवार, प्रभागवार तथा रायल्टी का आकलन गोलाई/व्यास वर्गों के आधार पर तालिका-1 में दिया गया है।

वृक्षों की गणना सूची अधिकृत द्वारा एवं गोलाई वर्गों में तारीख भी ... भूमि डाइमेंशन के पूर्ण रूप से ... में समर्पित की जाए। गणना सूची तथा तारीख संबंधित वनों में क्षेत्र पदाधिकारी तथा प्रस्ताव समर्पित करने वाले एजेन्सी के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा।

2. बांस/ईंधन:- ... के अनुसार ... भी 100% गणना 10 सेमी० ... व्यास अर्थात 30 सेमी० ... गोलाई ... को छोड़कर तक की जायगी। प्रजातिवार ... के रायल्टी का आकलन व्यास के आधार पर तालिका-2 में दिया गया है।

गणना सूची के संबंध में ... के निर्देश लागू होंगे।

3. ... 10 सेमी० व्यास ... के नीचे के सभी उपलब्ध वनस्पति तथा ... की श्रेणी में लिया जायेगा ... के विभिन्न वर्गों हेतु प्रति हेक्टेयर ... के रायल्टी की तालिका-3 दी गई है।

4. ... के बखार की 100% गणना की जायगी 5% बखारों को ... के आधार पर प्रत्येक बखार में उपलब्ध विभिन्न कोटि के ... की दर निर्धारित कर ली जायगी विभिन्न कोटि के ... की दर तालिका-4 में दी गई है।

गणना सूची के संबंध में ... के निर्देश लागू होंगे।

5. केन्दू पत्ती:- प्रस्तावित ... में उपलब्ध केन्दू पत्ता का रायल्टी निम्नवत होगा :-

<u>प्रस्तावित वनभूमि का रकबा</u> x ... का मानक उत्पादन प्रति मानक बोरा रायल्टी
संबंधित केन्दू पत्ता प्रमंडल रकबा

... का मानक उत्पादन ... [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ... की [illegible] ... [illegible] लाइसेंस हेतु धोन है । रजिस्ट्र और 7.50 लाख [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... आदेश है । [illegible] ... आदेश [illegible]

उपरोक्त सभी दरें मार्च 96 तक लागू रहेंगी एवं वर्ष 96-97 हेतु उन दरों [illegible] की वृद्धि लागू की जायेगी जब तक की कोई अन्य आदेश नहीं दिए जाएं ।

मा. कु. सिन्हा
/3/96
मुख्य वन संरक्षक, विकास, बिहार ।

ज्ञापांक: राँची, दिनांक:

प्रतिलिपि तालिका-1 से 4 सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

मा. कु. सिन्हा
/3/96
मुख्य वन संरक्षक, विकास, बिहार ।

ज्ञापांक: 375 राँची, दिनांक: 2/3/96

प्रतिलिपि तालिका-1 से 4 सहित मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, बिहार, राँची / सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक / सभी वन संरक्षक (प्रादेशिक) / क्षेत्र निदेशक, व्याघ्र योजना, पलामू / परियोजना निदेशक, वाल्मीकिनगर व्याघ्र योजना / सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी । [illegible] एवं [illegible] को छोड़कर । को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

मा. कु. सिन्हा
/3/96
मुख्य वन संरक्षक, विकास, बिहार ।

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]			[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]/-	[illegible]/-
[illegible]	[illegible]	78-[illegible]	0·15[illegible]	4500/-	702/-
(आमला)	30-35	93-109	0·39[illegible]	4500/-	1762/-
	35-40	109-125	0·523	4500/-	2354/-
	40-45	125-140	0·679	7875/-	5348/-
	45-50	140-155	1·161	7875/-	9143/-
	50-55	155-170	1·402	7875/-	11041/-
	55-60	170-185	1·642	7875/-	12931/-
	60-65	185-200	2·350	10462·50	24587/-
	65-68	200-215	2·675	10462·50	27988/-
	[illegible]-73	215-230	2·98[illegible]	10462·50	31262/-
	73-78	230-245	3·355	14175/-	47556/-
	78-83	245-260	3·[illegible]	15075/-	55280/-
(3 ग्रेड अविपत्त सेवुर)	20-30	65-95	0·2[illegible]	2075/-	520/-
	30-40	95-130	0·473	5175/-	2442/-
(केनिया कावनोरिया मावाड़)	40-50	130-160	0·930	6525/-	6059/-
	50-60	160-190	1·759	8100/-	14240/-
	60-70	190-220	[illegible]	[illegible]112·50	20504/-
(इलवीनिया मोरु सोलन)	20-30	65-95	[illegible]	2250/-	255/-
	30-40	95-130	0·490	3487·50	1423/-
	40-50	130-160	0·930	4950/-	4604/-
	50-60	160-190	[illegible]	5850/-	10179/-
	60-70	190-220	2·830	6412·50	181[illegible]/-

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	60-[illegible]	90-130	[illegible]	[illegible]	11,790/-
[illegible]	70-80	220-250	4.554	3375/-	15,500/-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	95-130	0.[illegible]	[illegible]	388/-
[illegible]	40-50	130-160	0.838	4950/-	4,148/-
	50-60	160-190	1.477	4950/-	7,312/-
	60-70	190-2[illegible]	2.340	4950/-	11,583/-
	70-80	220-250	2.660	5175/-	13,766/-
	80-90	250-280	4.878	5175/-	25,244/-
	90-100	280-310	5.934	5512=50	32,712/-
एकोरा पुरुष लिरिलोदिरा प्रथम वरीय अन्य सभी प्रकोष्ठीय: जिनकी उल्लेख इस तालिका में नहीं है।	10-20	30-65	0.136	1350/-	184/-
	20-30	65-95	0.542	1575/-	854/-
	30-40	95-130	1.268	2250/-	2853/-
	40-50	130-160	2.714	2700/-	7,328/-
	50-60	160-190	3.763	3375/-	12,701/-
[illegible]	20-30	65-95	0.165	1350/-	223/-
	30-40	95-130	[illegible]	1575/-	[illegible]
	40-50	130-160	1.164	2250/-	2619/-
	50-60	160-190	1.602	2700/-	4,326/-
	60-67	190-210	1.859	2700/-	5,0[illegible]/-
	67-77	210-245	2.407	3375/-	8,124/-
	77-87	245-275	2.830	3375/-	9,553/-
पुत्रनिष्टल	20-30	65-95	0.107	1005/-	337/-
	30-40	95-130	0.255	1800/-	459/-
	40-50	130-160	[illegible]	2[illegible]=50	1,363/-

		[illegible]		[illegible]/-	
		[illegible]0-22[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		[illegible]		[illegible]/-	
		250-280	[illegible]	[illegible]/-	[illegible]
[illegible]	[illegible]	30-45	[illegible]	[illegible]/-	
[illegible]	[illegible]	[illegible]-65		[illegible]/-	
[illegible]	[illegible]-30	65-95	0·[illegible]	8505/-	[illegible] की
	30-40	95-130	0·353	9525/-	[illegible]/- [illegible] को
	40-50	130-160	0·746	5925/-	[illegible]/- जाएगी
	50-60	160-190	1·365	9525/-	13193/-
	60-70	190-220	2·307	9525/-	21975/-
बोसवेलिया	20-25	65-80	0·165	1237·50	229/-
सिरेटा	25-30	80-95	0·3[illegible]	1237·50	47[illegible]/-
(सलई)	30-35	95-115	0·667	1462·50	9[illegible]/-
	35-40	115-130	1·097	1462·50	1605/-
	40-45	130-145	1·402	1462·50	205[illegible]/-
	45-50	145-160	1·[illegible]	1680/-	2940/-
	50-55	160-175	2·314	1800/-	4166/-
	55-60	175-190	2·826	1800/-	50[illegible]/-
	60-65	190-205	3·302	2137·50	275[illegible]/-
[illegible]	20-30	65-95	0·352	1237·50	4[illegible]/-
[illegible]	30-40	95-130	0·866	1462·50	12[illegible]/-
[illegible]	40-50	130-160	[illegible]·660	1462·50	2428/-
[illegible]	50-60	160-190	2·007	1800/-	3613/-
	60-70	190-220	[illegible]·226	2137·50	4896/-
	70-80	220-250	[illegible]·986	2137·50	10662/-
	80-90	250-2[illegible]0	5·970	2137·50	1276[illegible]/-

[illegible]	55	157·50	150/-
20·0 [illegible]	65	337·50	290/-

तालिका-3 [illegible] का राजस्व

[illegible] का प्रकार	प्रति हेक्टेयर उपलब्ध [illegible] घन मीटर	दर प्रति घन मी० (रु०)	राजस्व प्रति हेक्टेयर (रु०)
0·1	[illegible]	18·75	6750/-
0·2	50	18·75	6430/-
0·3	60	18·75	10120/-
0·4	50	18·75	8430/-
0·5	40	18·75	[illegible]
0·6	30	18·75	[illegible]
0·7	30	18·75	5063/-

तालिका-4 घास का राजस्व

घास प्रकार	दर प्रति [illegible] (रु०)	घास प्रकार	दर प्रति [illegible] (रु०)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	6/-
बरही	4·50	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]
[illegible] वन [illegible]

[illegible] ... पुराने ... के ... [illegible]

... का आकलीः-

1. वर्ष [illegible] प्रत्यारोपण करोने के बाद से एक वर्ष तक।

प्रत्यारोपण की मूल लागत - रु. 14,000/-
5% वृद्धि रु. 740/-
50 विधेयक द्वारा प्राप्त रु. 400/-
कुल रु. 15,9?0/-

2. 2 वर्ष पुराना दन्तारोपण करोने के बाद से 2 वर्ष तक।

प्रत्यारोपण की लागत रु. 15,400/-
10% वृद्धि रु. 1,5?0/-
50 विधेयक द्वारा प्राप्त रु. 400/-
कुल रु. 17,3?0/-

3. 3 वर्ष पुराना प्रत्यारोपण करोने के बाद से 3 वर्ष तक।

प्रत्यारोपण की लागत रु. 16,000/-
15% वृद्धि रु. 2,400/-
50 विधेयक द्वारा प्राप्त रु. 400/-
कुल रु. 10,300/-

4. 4 वर्ष पुराना प्रत्यारोपण करोने के बाद से 4 वर्ष तक।

प्रत्यारोपण की लागत रु. 16,000/-
20% वृद्धि रु. 3,200/-
25 विधेयक द्वारा प्राप्त रु. 200/-
कुल रु. 19,400/-

5. 5 वर्ष पुराना दन्तारोपण करोने के बाद से 5 वर्ष तक।

प्रत्यारोपण की लागत रु. 16,000/-
25% वृद्धि रु. 4,000/-
12.5 विधेयक द्वारा प्राप्त रु. 100/-
कुल रु. 20,100/-

[illegible]

[illegible] उल्लिखित [illegible] गठित [illegible]

[illegible] अनुमोदन [illegible] किया जायगा [illegible]

अनुमान उपरोक्त के अतिरिक्त होगा।

उपरोक्त राशि, [illegible] वर्ष 1996-97 के लिए लागू रहेगी एवं वर्ष 97-98 [illegible] १० प्रतिशत की वृद्धि की जायगी। [illegible] कोई अन्य आदेश नहीं दिया जाए।

ह० अ० [illegible],
मुख्य वन संरक्षक, [illegible]

ज्ञापांक: 788 रांची, दिनांक: 2/5/96

प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० अ० [illegible],
मुख्य वन संरक्षक, [illegible]

ज्ञापांक: 788 रांची, दिनांक: 2/5/96

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, [illegible] / सभी वन संरक्षक [illegible] / क्षेत्र निदेशक, [illegible] / [illegible] निदेशक, [illegible] सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी, [illegible] व्यापारी एवं सामाजिक वानिकी को [illegible] प्रेषित।

ह० अ० [illegible],
मुख्य वन संरक्षक, [illegible]